संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./2020/69 भोपाल, दिनांक 25/01/2020

प्रति,

1. समस्त डीन, शासकीय मेडिकल कॉलेज, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषय :– **Novel Corona Virus (n-Cov) की रोकथाम एवं नियत्रंण के संबंध में।**

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि हाल ही में चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नये प्रकार का कोरोना वायरस (Novel corona virus 2019-ncov) से निमोनिया के प्रकरण पाये गये है। कोरोना वायरस फैमिली के वायरस से सामान्य सर्दी–खांसी, MERS व SARS जैसी गंभीर बीमारियां होती है। इसमें मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण फैलने की संभावाना होती है।

12 जनवरी 2020 तक चीन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को 41 कन्फर्म प्रकरण की जानकारी दी गई है। इसके अलावा थाइलेंड, साउथ कोरिया, जापान व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी चीन से आये यात्रियों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। सभी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चीन व इस वायरस को रिपोर्ट करने वाले अन्य देशें से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सभी चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को इस विषय पर जागरूक करायें तथा Acute respiratory infection/ Influenza like Illness (ARI/ILI) के मरीजों पर नजर रखें व एक ही स्थान से आने वाले ARI/ILI के मरीजों की जानकारी रखें।

केस डेफिनेशन (परिभाषा)

(A) गंभीर श्वसन संक्रमण Severe Acute respiratory infection (SARI) से पीड़ित भर्ती मरीज जिसे खांसी व बुखार की तकलीफ रही है तथा जिसका कारण स्पष्ट न हो रहा हो।

लक्षण :– तेज बुखार (>38°C), खाँसी, गले में खराश, साँस फूलना

- लक्षण प्रकट होने के पहले 14 दिन के भीतर चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर की यात्रा की हो।
- कोई स्वास्थ्य कर्मी जो गंभीर श्वसन संक्रमण Severe Acute respiratory infection (SARI) के मरीज के संपर्क में आया हो चाहे उसकी ट्रेवल हिस्ट्री न हो।
- मरीज जिसमें असामान्य तथा असंभावित लक्षण प्रकट हो रहे हो व सभी संभव इलाज के पश्चात्य भी हालत में सुधार न हो रहा हो व कारण स्पष्ट न हो पा रहा हो तथा जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री भी न हो।

निरंतर......2

Or

(B) वह व्यक्ति जिसमे गंभीर श्वसन संक्रमण Severe Acute respiratory infection (SARI) तथा लक्षण प्रकट होने में 14 दिन के भीतर वह –

(अ) किसी nCov में कन्फर्म केस के सम्पर्क में आया हो।

(ब) किसी nCov के प्रकरण को रिर्पोट करने वाले अस्पताल गया हो।

(स) किसी nCov रिर्पोट करने वाले देश से आये हुये जानवर के सीधे सम्पर्क मे आया हो।

Novel Corona Virus (nCov) की जांच (थ्रोट स्वाब) हेतु व्यवस्था NIV Pune में की गई है।

Novel Corona Virus (nCov) नियंत्रण व रोकने के उपाय :–

1. जल्दी रोग की पहचान व संक्रमण के स्त्रोत का नियंत्रण :–

- स्वास्थ्यकर्मी रोग की जानकारी रखे जिससे संभावित मरीज की जल्दी पहचान हो सके।
- जांच के लिए प्रश्नावली तैयार करें।
- रोग के लक्षणों व रोकने के उपायों का प्रचार–प्रसार करें।
- खांसते, छीकते समय मुंह या रूमाल कपड़ा आदि लगाये या कोहनी से नाक मुंह को ढके।
- संभावित nCov मरीज को अन्य मरीजों से अलग ऑइसोलेश्न वार्ड में रखें।
- संभावित nCov के मरीज को मास्क पहनने की सलाह दे।
- मरीज के सम्पर्क में आने से पहले व बाद में हाथ धोवे।

2. संभावित nCov के मरीज बरती जाने वाली सावधानियां :–

- उपरोक्त सामान्य सावधानियों के साथ–साथ संभावित मरीज में परिवार के सदस्यों, मिलने – जुलने वाले लोगों तथा देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहने व बार–बार हाथ धोवें।
- मरीज को अलग एक स्वच्छ हवादार आइसोलेट कमरे में रखें, यदि यह संभव न हो तो सभी संभावित एक ही प्रकार के लक्षणों वाले मरीजों को एक ही कमरे में रखें।
- दो मरीजों में पलंग के बीच की दूरी का अंतर कम से कम 1 मीटर होना चाहिए।
- जहां तक संभव हो स्वास्थ्य कर्मियों का एक प्रथक से समूह बनाकर उन्हीं से संभावित मरीजों की देखभाल करायें।
- साफ लम्बे बाँह वाले गीले न होने वाले गाउन व दस्ताने का इस्तेमाल करें।
- एक बार उपयोग में लाये जाने वाले डिस्पोजिबल उपकरणों का प्रयोग करें। जहां यह संभव हों (जैसे स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेश्र नापने की मशीन, थर्मामीटर) एक ही या मरीजों के लिए उपयोग करें या ethyl alcohol से साफ कर दूसरे मरीज में लिए उपयोग करें।

निरंतर.......3

- हाथ को आंख, नाक व मुँह में न लगायें।
- मरीज को अनावश्यक घूमने फिरने न दें। पोर्टेबल x-ray मशीन आदि प्रयोग करें।
- मरीज को ले जाने वाले स्वास्थ्य कर्मी पी.पी.ई. किट का इस्तेमाल करें।
- संभावित मरीज के आने वाले एरिया को नोटिफाई कों व इसमें आने वाले लोग सावधानी बरते।
- मरीज के संपर्क में आने वाली जगह को नियमित रूप से साफ करें।
- कम से कम स्वास्थ्य कर्मी व परिवार वालों को मरीज के कमरे में आने दें।
- कमरे में आने सभी कर्मचारियों व परिवार वालों का रिकार्ड सूची बद्ध करें।
- मरीज के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी व परिवार वालों की ट्रेनिंग व स्वास्थ्य शिक्षा दी जावें।

3. Novel Corona Virus (n-Cov) बीमारी की जानकारी आमजन को प्रचार–प्रसार के माध्यम से दी जावें।

Novgl Corona Virus (n-Cov) के प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों की जानकारी प्रदाय किये गये प्रपत्रों में राज्य सर्विलेन्स इकाई एवं केन्द्रीय सर्विलेन्स इकाई के ईमेल **idspnpo@nic.in, himanshu.chauhan@nic.in, jyoti.idsp@gmail.com, idspssu@mp.gov.in** पर प्रतिदिन भेजें तथा उक्त वायरस की अधिक जानकारी के लिए इस बेवसाइट **www.who.int** का उपयोग करें।

संलग्न :– गाइडलाइन–क्लीनिकल मैनेजमेंट, सेम्पल कलेक्शन एण्ड ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल गाइडलाइन, रिपोर्टींग प्रपत्र

25/01/2020

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र. /आई.डी.एस.पी. /2020 /
भोपाल, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. निज सचिव, स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र.।
5. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र.।
6. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
7. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, समस्त सभांग, म.प्र.।
9. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
10. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी,म.प्र.।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.